**संख्या-4/15/49/26-2-2015-100(69)/2010**

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-1284/26-2-2014-100(69)/2010, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-83 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में किये गये बजट प्राविधान रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3260/26-2-2014, दिनांक 31.12.2014 द्वारा उपलब्ध केन्द्रांश में आवश्यक मैचिंग राज्यांश सम्मिलित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 3750.00 लाख (रूपये सैतिस करोड़ पचास लाख मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में उक्त स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी0एम0-30 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग (सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 4/15/49(1)/26-2-2015- तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in